संख्या- 7/2026/I/1216323/2026-68-5099/211/2025

प्रेषकए

सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0, लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2026

विषयः-**वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा मित्रों के मानदेय भुगतान हेतु चतुर्थ किश्त की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-शि0नि0(बे0)/नियोजन/55664-68/2025-26, दिनांक 20.12.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि रू0 3625.325 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष- ''2202-01-102-23-20'' मद में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15108.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 29.04.2025 द्वारा रू0 3777.125 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 12.06.2025 द्वारा रू0 3777.125 लाख तथा तृतीय किश्त के रूप में शासनादेश दिनांक 17.09.2025 द्वारा रू0 3777.125 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि रू० 151.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षामित्रों के मानदेय भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15108.50 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 3625.325 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पचीस लाख बत्तीस हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

(1) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपभोग उसी कार्य/प्रयोजन हेतु किया जायेगा।

(2) योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों की शर्तों एवं प्रतिबंधों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, धनराशि माहवार आवश्यकता के अनुसार ही राजकोष से आहरित की जायेगी।

(4) अगली वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(5) वित्तीय व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा। किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-''2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-23-शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' मद के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित रू.

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. महानिदेशकए स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज ।
6. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
9. बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।